कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086 / 2656357 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2020 / भाग(9) / 591 दिनांक :: 16 सितम्बर, 2021

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 2021 को सांदय 5.00 बजे श्री (डॉ.) राजेश शर्मा, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 28 जून 2021 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक **28 जून 2021** का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक **28 जून 2021** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 28 जून, 2021 में लिये गये निर्णय की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: जोन पश्चिम (W-2) के प्रारूप जोनल डवलपमेन्ट प्लान को अंतिम रूप दिया जाकर अनुमोदन करने बाबत।

गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य सिविल रिट पीटीशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जोधपुर शहर के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 क्षैत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने हेतु पश्चिम **(W-2)** के जोनल प्लान बनाये जाने का कार्यादेश दिनांक 07.03.2019 को वाप्कोस लिमिटेड को जारी किया गया था। वाप्कोस लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो के क्रम में चरण–5 (Preparation of Draft Zonal Plan) तक क कार्य प्रस्तुत किये जाने पर कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.06.2021 के प्रस्ताव संख्या 02 एवं प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28.06.2021 के प्रस्ताव संख्या 05 द्वारा जोन पश्चिम W-2 के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को आम जन से आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने हेतु अधिसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रारूप जोनल डवपलमेंट प्लान W-2 पर निर्धारित समयावधि में कुल 13 आपत्ति सुझाव प्राप्त हुए, जिसका निस्तारण प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02.10.2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 शुरू किये जाने प्रस्तावित हैं एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत निर्देशों के क्रम में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियो के नियमन से पूर्व जोनल डवलपमेंट प्लान लागू किया जाना अति आवश्यक हैं। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में चरण–8 (Finalization of objections/suggestions report and technical approval of the draft Zonal Development Plan) तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है अतः चरण–9 (Approval of Zonal Development Plan by local authority/state government)

के तहत प्रारूप के अनुमोदन बाबत् कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2021 के प्रस्ताव संख्या 29 में लिये गये निर्णय अनुसार समिति की अनुसंशा के साथ प्राधिकरण की बैठक में रखा जाना हैं।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 22 के तहत तैयार जोन पश्चिम W-2 जोनल डवलपमेंट प्लान समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं। साथ ही अधिनियम की धारा 24 के तहत जोनल डवलपमेन्ट प्लान को अनुमोदन करने हेतु अधिसूचना जारी की जानी हैं जिसके क्रम में निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की अभिशंषा के दृष्टिगत उपरोक्त प्रस्तावानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 23 के अन्तर्गत जोन W-2 के प्रारूप जोनल डवलपमेन्ट प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया एवं प्रारूप जोनल प्लान पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों के निस्तारण में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया। मास्टर प्लान –2031 के सापेक्ष जोनल प्लान में किये गये डेवियेसनस/विचलनों के संबंध में मास्टर प्लान–2031 में भी संशोधन/परिवर्तन का अंकन करते हुए इनका समावेश सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: जोन पूर्व (पार्ट E-2), जोन दक्षिण (पार्ट S-2), जोन उत्तर (पार्ट N-1 N-2) व जोन पूर्व, पश्चिम दक्षिण (पार्ट E-1, W-1 व S-1) के जोनल डवलपमेन्ट प्लान ड्राफ्ट को आपत्ति सुझाव हेतु जारी करने बाबत।

गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य सिविल रिट पीटीशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जोधपुर शहर के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने हेतु जोन पूर्व (पार्ट E-2) के जोनल प्लान बनाये जाने का कार्यादेश दिनांक 10.11.2017 को वाप्कोस लिमिटेड को जारी किया गया था। वाप्कोस लिमिटेड द्वारा तैयार किये गये जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रारूप को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 के प्रस्ताव संख्या 21 में अनुमोदन उपरान्त आपत्ति सुझाव हेतु प्रारूप जारी किया गया था। जोनल डवलपमेंट प्लान जोन पूर्व (पार्ट E-2) के प्रारूप जारी किये जाने के समय मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अधिसूचित नहीं था। प्राधिकरण द्वारा जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 का अनुमोदन कर दिनांक 18.02.2021 को अधिसूचित किया गया हैं। अतः जोनल डवलपमेंट प्लान जोन पूर्व (पार्ट E-2) में इस दौरान विभिन्न नये विकास एवं कमिटमेंटस् आदि हो चुके है, जिनका समायोजन जोनल प्लान में किया जा कर अपडेटेड प्रारूप तैयार किया गया हैं। अतः पूर्व में अधिसूचित प्रारूप को निरस्त कर नये तैयार किये गये प्रारूप को आपत्ति सुझाव हेतु जारी किया जाना हैं।

जोन दक्षिण (पार्ट S-2) के जोनल प्लान बनाये जाने का कार्यादेश भी वाप्कोस लिमिटेड को जारी किया गया था तथा जोन उत्तर (पार्ट N.1 N.2) के जोनल डवपलमेंट प्लान बनाये जाने का कार्यादेश याशी कन्सलटिंग प्रा.लि. दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो के क्रम में चरण–5 (Preparation of Draft Zonal Plan) तक का कार्य पूर्ण कर कन्सल्टेंट द्वारा प्रस्तुत किया हैं। साथ ही पार्ट E-1, W-1 व S-1 के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने हेतु ड्रॉन सर्वे के माध्यम से बेसमेप तैयार करने हेतु टेण्डर किया गया था परन्तु ड्रॉन सर्वे हेतु अनुमति मिलने में समय लगने के कारण DoIT द्वारा तैयार किये गये बेसमेप के आधार पर प्राधिकरण स्तर पर तैयार किया गये है। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2021 के प्रस्ताव संख्या 25, 26, 27, 28 में लिये गये निर्णय अनुसार समिति की अनुसंशा के साथ प्राधिकरण की बैठक में रखा जाना हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02.10.2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 शुरू किये जाने प्रस्तावित हैं एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत निर्देशों के क्रम में कृषि भूमि पर बसी

कॉलोनियो के नियमन से पूर्व जोनल डवलपमेंट प्लान लागू किया जाना अति आवश्यक हैं। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के कम में चरण–5 (Preparation of Draft Zonal Plan) तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त क्षेत्र के निम्न मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं:–

1. Map Showing Zone Boundary on Urban Area,
2. Map Showing Proposed Landuse Plan of MDP-2031
3. Map Showing physical features (Basemap),
4. Map Showing Existing landuse
5. Map Showing superimposition of revenue maps, revenue roads, commitments, Government land and other details,
6. Map Showing Physical and Social Infrastructure,
7. Map Showing Existing Development and Master pLan Landuse superimposition,
8. Map Showing Traffic and Transportation,
9. Map Showing Proposals on the basis of Variations and Deviations,
10. Map Showing Draft Zonal Development Plan.

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 22 के तहत उक्त जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार किया गया हैं जो कि समिति के समक्ष अनुमोदार्थ प्रस्तुत हैं। साथ ही जोन पूर्व (पार्ट E-2) के पूर्व में अधिसूचित प्रारूप को निरस्त किये जाने एवं अधिनियम की धारा 23 के तहत नवीन तैयार जोनल डवलपमेन्ट प्लान ड्राफ्ट को आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना जारी की जानी हैं। उपरोक्त प्रस्तावों का अनुमोदन कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2021 द्वारा किया जा चुका है। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2021 के प्रस्ताव संख्या 25, 26, 27, 28 में लिये गये निर्णय अनुसार समिति की अनुसंशा के साथ प्राधिकरण की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की अभिशंषा के दृष्टिगत उपरोक्त प्रस्तावानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 22 के अन्तर्गत जोन–पूर्व का पूर्व में अनुमोदित प्रारूप जोनल प्लान को निरस्त करते हुए वर्तमान जोन E-2 के प्रारूप जोनल प्लान का अनुमोदन करते हुए आम जन से 15 दिवस में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही जोन S-2, N-1, N-2, E-1, W-1 व S-1 के प्रारूप जोनल डवलपमेन्ट प्लान का अनुमोदन करते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण, 2009 की धारा 23 के अन्तर्गत आम जन से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु अधिसूचित करवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 6111/2017 गणपत सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य व अवमानना कार्यवाही में माननीय महाधिवक्ता महोदय के सहायक अधिवक्ता की फीस (महाधिवक्ता के फीस का 20 प्रतिशत) बिल के स्वीकृति के संबंध में।

उक्त जनहित याचिका ग्राम पंचायत कालीजाल एवं निम्बली के गैर मुमकिन ओरण, नाड़ी की भूमि के अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण हटाने हेतु दायर की गई है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित निर्देश दिए है। प्रकरण की गंभीरता एवं अंतर्वस्तु को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण की ओर से माननीय महाधिवक्ता महोदय को पैरवी हेतु नियुक्त किया गया है।

माननीय महाधिवक्ता महोदय के कार्यालय के पत्र दिनांक 26.01.2021 के द्वारा प्राधिकरण की ओर से प्रकरण में पैरवी करने हेतु निम्नानुसार अपनी सहमती प्रकट की है :-

S.No.	Particulars	Fee
	Fees per Appearance in D.B. CWP 6111/2017	Rs. 3,30,000+10% Clerkage
	Fees per Appearance in Contempt Proceedings drawn vide order dated 16-12-2020 in D.B. CWP 6111/2017	Rs. 3,30,000+10% Clerkage
	Fees per Pleading	Rs. 3,30,000+10% Clerkage

The Fees payable to me, Assistant to the Advocate General, will be 20% of the fees of the Advocate General.

अतः माननीय महाधिवक्ता महोदय के उपरोक्त विधिक फीस प्राधिकरण के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की अभिशंषा के मद्देनजर उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह बैठक कार्यवाही विवरण पत्रावली (बैठक शाखा/2020/भाग-9 प्राधिकरण की बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 128./एन. में अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है)

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य कार्यवृत्त प्राप्ति के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत या उसके किसी भाग के गलत तथा/या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और निवेदन करें कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का कियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक कियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के लिए रखा जायेगा, कियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी।

कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण/संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पडेगा।

13/9/21
(हरभान मीणा)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2020/भाग(9)/591-612 दिनांक :: 13 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
2– महापौर (उत्तर/दक्षिण) महोदया, नगर निगम, जोधपुर
3– जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर
4– जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
5– उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेन्ट काउंसिल (आरएजेआरईडीसीको), 307, पिंक टॉवर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
6– संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
7– आयुक्त, नगर निगम–उत्तर/दक्षिण, जोधपुर
8– अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
9– मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10– प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
11– उप आवासन आयुक्त–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
12– वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
13– निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14– निदेशक– अभियांत्रिकी/ आयोजना/ वित्त/ विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15– उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/मुख्यालय, उप सचिव, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16– अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17– एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18– सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19– ....

13/9/21
(हरभान मीणा)
सचिव

परिशिष्ट–1

श्री (डॉ.) राजेश शर्मा, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय स्थित उनके कक्ष में दिनांक 13 सितम्बर, 2021 को सांय 5.00 बजे आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. **श्री कमर चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर**
2. **श्री मुकेश भाटी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर**
3. **श्री आर.एस. डेलू, अतिरिक्त कलक्टर–तृतीय, जोधपुर**
4. **श्री हिमांशु गोविल, अधीक्षण अभियन्ता, नगर वृत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर**
5. **श्री रूघन सिंह मीणा, वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर**
6. **श्री एस.के. सैनी, उप आवासन आयुक्त–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर**
7. **श्री आर.एस. भाटी, उप आवासन आयुक्त–द्वितीय, राजस्थान आवास मण्डल, जोधपुर**
8. श्री ओ.पी. सुथार, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
9. श्री लाडूराम विश्नोई, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री ओ.पी. सीरवी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री राजेश वर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री जगदीश कुमार, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री हरभान मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर